Excise Duty on Yarn

4613. Shri Kolla Venkaiah:
Shri M. N. Swamy:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any memorandum has been presented by the delegation on behalf of the Andhra Handloom Weavers' Cooperative Society Limited regarding the proposal for the enhancement of excise duty on yarn.

(b) if so, the main points in the memorandum;

(c) when the memorandum was presented; and

(d) the action taken on the different points in the memorandum?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) The main points made are:

(i) Excise duty should be totally removed on Cotton Yarns consumed by the handloom Industry, and if that is not possible, the status-quo-ante (i.e. to exempt yarns below 29 NF issued in hank form and to reduce the excise duty rates for higher count groups to the level prevailing before the presentation of the Budget proposals) should be restored.

(ii) Proposed enhancement of inter States Sales Tax should not be applied on cotton yarn.

(c) The memorandum was received by the Finance Minister on 24th March, 1966.

(d) The points raised therein are being examined.

कोटा में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

4614. श्री ओंकार लाल बेरवा: क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्थित तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में बिजली की अत्यधिक कमी होने के कारण अमरीका से आयात की गई कीमती मशीनें बेकार पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षणार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) बिजली उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख). कोटा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में मशीनों के दो औजार बेकार पड़े हैं । इन औजारों की आवश्यकता पुनर्नवन आदि कामों के लिये कभी कभी ही पड़ती है । परन्तु इसका केन्द्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि चम्बल परियोजना के सहवर्ती कारखाने में उपलब्ध सुविधाओं को काम में में लाया जा रहा है ।

(ग) 1965 में मानसून की क्षीणता के कारण गांधी सागर बिजली घर की उत्पादन क्षमता घट गई थी जिसके परिणामस्वरूप चम्बल प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कटौती की गई । परन्तु बिजली की सप्लाई व्यवस्था में शीघ्र ही सुधार होने की सम्भावना है क्योंकि राजस्थान बिजली बोर्ड कुछ वैकल्पिक प्रबन्ध कर रहा है ।

Common Civil Code for Men and Women

4615. Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether any survey has been made about the disparities in social status of men and women;

(b) whether a suggestion has been made in connection with Kunda Datar

memorial lectures delivered by the former Chief Justice of India to evolve a common Civil Code for men and women;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra): (a) Government are not aware of any special surveys about the disparities in social status of men and women;

(b) to (d). Details of the proposal are not known as the text of the lecture is not yet available.

संसद् सदस्यों के आवास क्षेत्रों में बिजली विभाग के कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या

4616. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दाजी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों के आवास क्षेत्र, साउथ एवन्यू, नार्थ एवन्यू, रकाबगंज रोड, एलेनबी रोड आदि में बिजली विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण कई बार संसद् सदस्यों को कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में शीघ्र तथा अच्छी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार का विचार लगभग 500 फ्लैटों और बंगलों वाले इस क्षेत्र को दो सेक्शनों में विभाजित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो यह विभाजन कब किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) संसद् सदस्यों के रिहायशी क्षेत्र में बिजली सेवा के अनुरक्षण के लिए तथा सदस्यों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है । सदस्यों ने कर्मचारियों की अपर्याप्तता के कारण हो सकने वाली कठिनाइयों की शिकायत नहीं की है ।

(ख) संसद् सदस्यों के निवास स्थानों तथा विट्ठल भाई पटेल हाउस से सम्बन्धित बिजली का कार्य करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी यूनिटों के कार्य का पुनर्गठन तथा पुनर्वितरण करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ). इस माह के अन्त तक प्रस्तावित पुनर्वितरण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

संसद्-सदस्यों के लिये मेज-पंखे

4617. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री दाजी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद्-सदस्यों के रिहायशी क्षेत्रों, अर्थात् साउथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू, एलेनबी रोड, रकाबगंज रोड, अकबर रोड, आदि में बिजली विभाग के कार्यालयों में फ्लैटों की संख्या के अनुपात में मेज पंखे बहुत कम होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्लैटों के साथ लगे हुए नौकरों के क्वार्टरों में छत के पंखे नहीं लगाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मेज पंखे देने अथवा छत के पंखे लगाने की व्यवस्था करने का है ; और